संख्या– 408 / नि०स० / प्र०स०का० / 2014

प्रेषक,

डा० एस० एस० संधु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 21 अगस्त, 2014**

विषय– राज्य सरकार के अधीन कार्यरत् समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा अचल सम्पत्ति का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–192 / XXX(2) / 2012–25 / 27 / 2002 दिनांक 26.03.2012 द्वारा अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण प्रेषित किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश द्वारा निर्गत किये गये दिशा–निर्देशों में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिवर्ष नियमित रूप से अगली 31 जनवरी तक नियुक्ति प्रधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर किसी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनके विरूद्ध राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघंन मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2– शासन के संज्ञान में यह आया है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों के पश्चात् अधिकारी / कर्मचारी द्वारा अपनी सम्पत्ति के विवरण प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं। यह स्थिति उचित नहीं है, जब कि राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम–22 में अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है।

3– इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 26.03.2012 में आंशिक संशोधन करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि समूह 'क' 'ख' तथा 'ग' के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रतिवर्ष

क्रमशः.........................2

31 जुलाई तक कि स्थिति के अनुसार 31 अगस्त तक अपने नियुक्ति प्राधिकारी को अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध करायेंगे तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपनी सम्पत्ति का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया हो, तो वे 10 सितम्बर, 2014 तक सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र पर अपने नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध करायें। यदि श्रेणी 'क' 'ख' तथा 'ग' के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उपरोक्त निर्देशों के पश्चात् भी अपनी सम्पत्ति का विवरण निर्धारित अवधि तक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन मानते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ प्रत्येक अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय से अवगत कराते हुये आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 एस0एस0 संधु)
प्रमुख सचिव

संख्या– /नि0स0/प्र0स0का0/2014/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव